

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान  
राष्ट्रपति निवास, शिमला 171005-

परिवार आश्रितता घोषणा प्रपत्र

दिनांक:

परिवार का विवरण

[चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बच्चों का शिक्षा भता, तथा छुट्टी यात्रा रियायत आदि प्रयोजन के लिए]

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 का नियम 54(12)

अधिकारी/कर्मचारी का नाम :  
पहचान पत्र संख्या :  
पदनाम एवं अनुभाग :  
जन्म तिथि :  
वैवाहिक स्थिति :  
सेवा में आने की तिथि :

परिवार के आश्रित सदस्यों का विवरण

(सरकारी मानदंडों के अनुसार परिवार के आश्रित सदस्यों की परिभाषा प्रपत्र के पीछे दी गयी है।)

- ❖ सभी स्थान भरने अनिवार्य हैं।
- ❖ आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य है और नवजात के मामले में जन्म प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

क्र. सं.	परिवार के आश्रित सदस्यों का नाम	संबंध	जन्म तिथि	तिथि के अनुसार आयु	व्यवसाय	वैवाहिक स्थिति (विवाहित /अविवाहित/विधवा)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

I. जब पति और पत्नी दोनों सेवारत हों :

- a) क्या अधिकारी/कर्मचारी का/ की पति/पत्नी सरकारी नौकरी पर है? हाँ/नहीं (लागू पर टिक करें) यदि हाँ, तो कार्यालय/संस्था का नाम बताएं \_\_\_\_\_  
(यदि हाँ, कृपया जीवनसंगी/जीवनसंगिनी के कार्यालय से जारी नवीनतम पहचान पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
- b) क्या आपका जीवनसंगी/जीवनसंगिनी स्थानीय निकाय/निजी संस्था से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं? हाँ/नहीं (या तो केंद्र सरकार के नियमों के तहत चिकित्सा सुविधाओं या संगठन द्वारा प्रदान की

जाने वाली सुविधाओं का चयन कर सकते हैं जिसमें पति या पत्नी कार्यरत हैं)

- II. क्या परिवार के आश्रित सदस्यों (पति/पत्नी के अलावा) की आय 9000/- रुपये प्रति माह से अधिक है या मूल पेंशन पर महंगाई भत्ते की राशि 9000/- रुपये प्रति माह है? हाँ/नहीं (जो लागू नहीं उसे टिक करें) (यदि हाँ, तो कृपया परिवार के आश्रित सदस्य का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

**वचनबद्धता :**

1. पेंशन/वेतन/व्यवसाय/ सेवा आदि सभी स्रोतों से परिवार के आश्रित सदस्यों (पति/पत्नी के अलावा) की आय 9000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है।
2. उपरोक्त भरे गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, इसकी सूचना कार्यालय को यथाशीघ्र दी जाएगी।
3. मेरे परिवार के आश्रित सदस्यों का दिया गया विवरण सही है। यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है, तो मैं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
4. मैं एतद्वारा किसी भी परिवर्धन या संशोधन के लिए कार्यालय के प्रमुख को सूचित करके उपरोक्त विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

**संलग्नकों की संख्या:**

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

## निर्देश

परिवार के आश्रित सदस्य की परिभाषा इस प्रकार है-

- (i) सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, और दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, भले ही वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हों या नहीं; (अविवाहित पुत्र जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देता या जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, बेटी जब तक कमाना शुरू नहीं कर लेती या शादी नहीं कर लेती जो भी पहले हो।)
- (ii) विवाहित बेटियाँ जो तलाकशुदा, परित्यक्त या अपने पति से अलग हो चुकी हैं और विधवा बेटियाँ जो सरकारी नौकर के साथ रह रही हैं और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं;
- (iii) सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले और पूरी तरह से आश्रित माता-पिता और/या सौतेली मां;
- (iv) अविवाहित नाबालिग भाइयों के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने पति से अलग या विधवा बहनें जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं और पूरी तरह से आश्रित हैं, बशर्ते उनके माता-पिता या तो जीवित न हों या स्वयं पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हों।
- (v) एक महिला कर्मचारी के पास अपने माता-पिता या अपने सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले में उसकी सेवा के दौरान केवल एक बार विकल्प को बदला जा सकता है।

## नोट

- (क) यदि पति या पत्नी सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, तो संयुक्त घोषणा पत्र हर वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा।  
(बच्चों के शिक्षा भत्ते तथा चिकित्सा भत्ते की अदायगी हेतु) तथा केलेण्डर वर्ष में एक बार (छुट्टी यात्रा रियायत/एलटीसी के लिए)
  - (ख) आश्रित वार्षिक आय प्रमाण पत्र हर वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा।
-